General Diary Details
सामान्य दैनिकी विवरण

State (राज्य): उत्तर प्रदेश

P.S. (थाना): विन्ध्याचल

District/Unit (जिला/इकाई): मिर्ज़ापुर

1. **G.D. No. (रोजनामचा सं.):** 057
2. **G.D. Date (रोजनामचा दिनांक):** 14/09/2024 15:51 बजे
3. **G.D. Type (रोजनामचा प्रकार):** निवारक कार्यवाई मे गिरफ्तारी
4. **Entry for (officer) (प्रविष्टि(अधिकारी के लिए)):** अवर निरीक्षक
5. **Case Type (प्रकरण के प्रकार) :** प्रौढ़
6. **Subject (विषय).**
वापसी उ0नि0 व दाखिला 02 नफर आरोपीगण व 02 किता चालानी रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 170/126/135 BNSS........
7. **G.D. Brief**
वापसी उ0नि0 व दाखिला 02 नफर आरोपीगण व 02 किता चालानी रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 170/126/135 BNSS........

मै उ0नि0 विनोद कुमार यादव मय हमराह हो0गा0 शिवूलालक के रवाना शुदा रो0आम तारीखी,हमरोजा से बाद देखभाल क्षेत्र, जाँच प्रा0पत्र से मय गिरफ्तार शुदा 02 नफर आरोपीगण प्रथम पक्ष के प्रमोद कुमार कुशवाहा पुत्र रामवती कुशवाहा उम्र करीब 38 वर्ष हुलिया- सांवला रंग, गोला चेहरा, दोहरा मजबूत जिस्म, कद, काठी औसत चोट निल व द्वितीय पक्ष के मनोज कुमार कुशवाहा पुत्र रामपती कुशवाहा उम्र करीब 51 वर्ष समस्त निवासीगण गोडसर सरपती थाना विन्ध्याचल मीरजापुर हुलिया- सांवला रंग, लम्बा चेहरा, दोहरा मजबूत जिस्म, कद, काठी औसत चोट निल मय 02 किता द्विपक्षीय चा0रि0 अन्तर्गत धारा 170/126/135 BNSS के थाना वापस आया बाद नियाने आरोपीगण की जामा तलाशी समक्ष सन्तरी पहरा के न होने बरामद कोई शय आरोपी ताजा चोटों से पाक साफ है, आरोपीगण को अन्दर हवालात मर्दाना दाखिल किया गया, जो पूर्व से खाली व साफ है। अन्दर मालगृह से रिहायशी हेतु कम्बल दिया गया। चालानी रिपोर्ट थाना कार्यालय दाखिल करते हुए मुनासिब हिदायत किया गया। विवरण कार्य इस प्रकार है कि मै उ0नि0 मय हमराह के थाना हाजा से प्रस्थान कर देखभाल क्षेत्र ,जाँच प्रार्थना पत्र व जाँच एनसीआर नं0 -104/24 व 105/24 धारा 115(2)/352 बी0एन0एस0 की जाँच मे ग्राम गोडसर सरपती पहुँचा तो ज्ञात हुआ कि प्रथम व द्वितीय पक्ष उपरोक्त के मध्य पानी बहाने की बात,को लेकर व एनसीआर कायम होने की बात को लेकर पुन: कहा सुनी व विवाद कर रहे थे। मौके पर हम पुलिस वालो द्वारा पहुँच कर दोनो पक्षो को काफी समझाया बुझाया गया तो उभय पक्ष उपरोक्त मौके पर मानने को तैयार नही थे और उग्र होकर आमदा-फौजदारी पर उतारू हो गये। मौके पर संज्ञेय अपराध की आशंका को देखते हुए अलावा गिरफ्तारी कोई विकल्प न देखकर आरोपी उपरोक्त को समय करीब 15.30 बजे अन्तर्गत धारा 170 BNSS मे गिरफ्तार किया गया। अगर गिरफ्तार न किया जाता तो अवश्य ही कोई अप्रिय घटना घटित हो जाती। गिरफ्तारी की सूचना मौके से ही आरोपीगण के परिजन को दी गयी। गिरफ्तारी के समय मानवाधिकार आयोग एव मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशो निर्देशो का अक्षरश: पालन किया गया। शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत प्रथम पक्ष के मिथिलेश मौर्य पुत्र राधेश्याम निवासी टीकेनतुलापुर थाना मान्डा जनपद प्रयागराज उम्र 28 वर्ष व द्वितीय पक्ष के मनोज कुमार कुशवाहा पुत्र रामपती कुशवाहा निवासी गोडसर सरपती थाना विन्ध्याचल जनपद मीरजापुर उम्र 51 वर्ष का चालान अन्तर्गत धारा 126/135 बी0एन0एस0एस0 मे मा0 न्यायालय किया गया। अत: माननीय न्यायालय से निवेदन है कि उपरोक्तगण को तलब कर अधिक से अधिक धनराशि व मुचलके पर पाबन्द करने की कृपा करे। थाना हाजा आकर आरोपीगण को हवालात मर्दाना व चालानी रिपोर्ट कार्यालय दाखिल किया गया। विस्तृत विवरण मुन्दर्जा चालानी रिपोर्ट है। शेष कुशलता रही। HM/CM को हिदायत किया गया कि तकमीला सम्बन्धी रजिस्ट्रान कर आरोपी को मय चालानी रिपोर्ट के समय से मा0 न्यायालय रवाना करे। बाद वापसी पुन: देखभाल क्षेत्र मे रवाना हुआ।

8. **Acts & Sections (अधिनियम और धारा(एँ)):**

S.No.(क्र.सं.) Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))

Report Printed on (रिपोर्ट मुद्रण की दिनांक): 03/12/2024
Report Printed by (जिस के द्वारा रिपोर्ट मुद्रित):
Name (नाम): AMIT KUMAR
Rank (पद): SI (Sub Inspector)

Signature (हस्ताक्षर):
Name (नाम): AMIT KUMAR
Rank (पद): SI (Sub-Inspector)
No.(सं.): 132160186

थाना-विन्ध्याचल
मीरजापुर

N.C.R

NON CONGNIZABLE OFFENCE INFORMATION REPORT

In respect of Non Cognizable Offence

(Under Section 174 B.N.S.S.)

एन.सी.आर

असंज्ञेय अपराध की सूचना रिपोर्ट

असंज्ञेय अपराध के संदर्भ में

(अंतर्गत धारा 174 बी एन एस एस)

PS(थाना): विंध्याचल **District(जिला):** मिर्ज़ापुर **NCR No(असंज्ञेय अपराध प्रतिवेदन सं.)** 0104/2024 **Date(दिनांक):** 14/09/2024

1. **Acts & Sections of law (कानून के अधिनियम एवं धाराएँ)**

S.No(क्र.सं.)	Act(s)(अधिनियम)	Sections(धारा(एँ))
1	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	115(2)
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	352

2. **Place of occurrence(घटना का स्थान) :**

(a) **Information Received at P.S(थाने पर प्राप्त सूचना)**

Date (दिनांक) : 14/09/2024

Time (समय) : 14:06 बजे

(b) **General Diary Reference(संदर्भित रोजनामचा)**

G.D. No. (रोजनामचा स.) : 046

G.D. Time (रोजनामचा समय) :14:06 बजे

(c) **Occurence Date (घटना दिनांक) :** 14/09/2024 **Time(समय):** 09:00 बजे **Time Range(समयावधि):**

(d) **Place(स्थान):**

3. **Name & Residence of Complainant (शिकायतकर्ता का नाम और पता) :**

Name (नाम) : श्री प्रमोद कुमार कुशवाहा

S.No.(क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	गोडसर सरपती ,विंध्याचल,मिर्ज़ापुर,उत्तर प्रदेश , भारत
2	स्थायी पता	गोडसर सरपती ,विंध्याचल,मिर्ज़ापुर,उत्तर प्रदेश , भारत

4. **Name , Father's Name , Age & Residence of Accused/Suspect (अभियुक्त / संदिग्ध का नाम, पिता का नाम, आयु और पता):**

(1) a) **Name(नाम):** मनोज कुमार कुशवाहा

b) **Father's Name(पिता का नाम):** राजबली

c) **Age (आयु) :** **From(से):** **To(तक):**

d) **Residence (निवास):**

S.No.(क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	गोडसर सरपती ,विंध्याचल,मिर्ज़ापुर,उत्तर प्रदेश , भारत
2	स्थायी पता	गोडसर सरपती ,विंध्याचल,मिर्ज़ापुर,उत्तर प्रदेश , भारत

(2) a) **Name(नाम):** सुभम कुशवाहा

b) **Father's Name(पिता का नाम):** मनोज

c) **Age (आयु) :** **From(से):** **To(तक):**

d) **Residence (निवास):**

S.No.(क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	गोडसर सरपती ,विंध्याचल,मिर्ज़ापुर,उत्तर प्रदेश , भारत
2	स्थायी पता	गोडसर सरपती ,विंध्याचल,मिर्ज़ापुर,उत्तर प्रदेश , भारत

5. **NCR Contents (असंज्ञेय अपराध रिपोर्ट का विवरण)**

नकल तहरीर हिन्दी लिखित वादी ....सेवा में श्रीमान प्रभारी निरिक्षक महोदय थाना विन्ध्याचल जनपद मिरजापुर महोदय, सविनय निवेदन है कि प्रार्थी प्रमोद कुमार कुशवाहा पुत्र राम

बली निवासी ग्राम गोडसर सरपत्री थान विन्ध्याचल जनपद मिरजापुर का मुल निवासी हु, आज दिनांक 14/09/24 को सुवह 9.00 वजे पानी बहाने को लेकर विवाद हो रहा था उसी समय विपक्षी मनोज कुमार कुशवाहा पुत्र रामबली व सुभम कुशवाहा पुत्र मनोज निवासी ग्राम गोडसर सरपती थाना विन्ध्याचल मिरजापुर द्वारा एक राय होकर पानी बहाने को लेकर हाथ में लाठी डडे से मारे पीटे व मा वहन की भद्दीभद्दी गालिया दिये अगल बगल के लोग इकट्ठा होकर बीच बचाव किये तव विपक्षी गण अपने घर की तरफ चले गये उक्त घटना मे मेरी पत्नी महीमा को काफी चोटे आई है , उक्त घटना की सूचना मै थाना पर दे रहा हू विपक्षीगण उपरोक्त के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे । हिन्दी ह0 प्रार्थी/ प्रमोद कुशवाहा 14/09/2024, 9198010433 नोटमै हे0मो0 उपेन्द्र कुमार यह प्रमाणित करता हुँ कि उपरोक्त तहरीर की नकल मेरे द्वारा कम्प्युटर पर अक्षरशः बोल बोलकर टंकण कराया गया है ।

6. **Particulars of properties involved (Attach separate sheet, if necessary) (संलिप्त संपत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो पृथक शीट संलग्न करें)):**

S.No.(क्र.स.)	Property Type(संपत्ति का प्रकार)	Property Description (संपत्ति का विवरण)

7. **Name and full address of witnesses, if described in contents of NCR (साक्षी का नाम एव पूर्ण पता,अगर साक्षी को असंज्ञेय अपराध प्रतिवेदन के सार में वर्णित किया गया हो) :**

S.No.(क्र.सं.)	Name(नाम)	Address(पता)

8. **R.O.A.C(पढ़कर सुनाई गई तथा उपयुक्त होना स्वीकार है) :**

9. **Informant is advised to seek help in concerned court(सूचनाकर्ता को न्यायालय से सहायता प्राप्त करने की सलाह दी गई।):** हाँ

Signature of Officer(अधिकारी के हस्ताक्षर)

Name(नाम) : CHANDRA PRAKASH PANDEY

Rank(पद) : I (Inspector)

No.(सं.) : 992030115

Signature/Thumb Impression of the complainant/Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान) :

पत्र सूचना शाखा
(मीडिया सेल, गृह विभाग)
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0

धारा–107/116/151 के तहत अवैध रूप से हिरासत पाये जाने पर पीड़ित व्यक्ति को मिलेगा 25 हजार रूपये मुआवजा

अवैध हिरासत किये जाने के उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध भी होगी नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्देशों के क्रम शासन द्वारा दिये गये जरूरी दिशा–निर्देश

लखनऊ: 09 सितम्बर, 2021

परिशांति कायम रखने के उद्देश्य से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन धारा–107/116/151 के तहत कार्यकारी मजिस्ट्रेट को प्राप्त शक्तियों के क्रियान्वयन के विषय में शासन द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं।

यह निर्णय माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्देशों के क्रम में लिया गया है, जिसमें इस विषय पर एक उचित कार्य प्रणाली(Mechanism) विकसित किये जाने हेतु यथोचित दिशा–निर्देश निर्गत किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

इस क्रम में प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों सहित पुलिस महानिदेशक, समस्त जोनल, अपर पुलिस महानिदेशक, समस्त परिक्षेत्रीय महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक एवं समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0 को शासन द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं।

निर्देशों में शासन द्वारा समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उसके अधीनस्थ समस्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट्स तथा विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट्स से यह अपेक्षा की गयी है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता में उन्हें प्रदत्त की गयी शक्तियां, उनके क्षेत्राधिकार में शांति व्यवस्था एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने के लिए हैं। शासन द्वारा कहा गया है कि इनका पालन सदैव गुण दोष के आधार पर युक्ति–युक्त न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुये, विधि एवं निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाय, ताकि आम जन को संविधान से प्राप्त मौलिक अधिकार संरक्षित रहे।

शासन द्वारा जारी निर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति की अवैध रूप से हिरासत प्रमाणित पायी जाती है, तो पीड़ित व्यक्ति को 25 हजार रूपये की धनराशि का भुगतान मुआवजे के रूप में किया जायेगा। इसके साथ ही अवैध हिरासत किये जाने के उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध भी नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

[illegible]

रिपोर्ट थाना बिन्ध्याचल जनपद मीरजापुर

सेवा में,

श्रीमान जनसूचना अधिकारी
कार्यालय पुलिस अधीक्षक
जनपद मीरजापुर।

बिषय-पत्र संख्या-ज0सू0अ0-86/24 दिनांक 17.10.24 आवेदिका महिमा मौर्य निवासी ग्राम गोडसर सरपती थाना बिन्ध्याचल जनपद मीरजापर द्वारा सूचना का अधिकार अधि0-2005 के तहत मांगी गयी सूचना के सम्बन्ध में आख्या –

महोदय ,

निवेदन है कि आपके पत्र संख्या-ज0सू0अ0-86/24 दिनांक 17.10.24 के माध्यम से आवेदिका महिमा मौर्य उपरोक्त द्वारा सूचना का अधिकार अधि0-2005 के तहत बिन्दुवार सूचना की माँगी गयी है।जो निम्नवत है-

1-गैर संज्ञेय रिपोर्ट या प्रथम सूचना रिपोर्ट में मुख्य पीड़िता का नाम के उल्लेख करने के सम्बन्ध में दिये गये आदेशो निर्देशो का पालन कर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

2- आवेदिका महिमा मौर्य के पती प्रमोद कुमार कुशवाहा पुत्र रामबली निवासी गोडसर सरपत्ती थाना बिन्ध्याचल जनपद मीरजापुर के तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर एनसीआर नम्बर 104/24 धारा 115(2)/352 बीएनएस में दिनांक 14.09.2024 को अभियोग दर्ज किया गया है। जिसमें दिनांक 14.09.24 को 170/126/135 बीएनएसएस में कार्यवाही किया गया है।

3-नही

4- आवेदिका महिमा मौर्य के पती प्रमोद कुमार कुशवाहा पुत्र रामबली निवासी गोडसर सरपत्ती थाना बिन्ध्याचल जनपद मीरजापुर के तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर एनसीआर नम्बर 104/24 धारा 115(2)/352 बीएनएस में दिनांक 14.09.2024 को अभियोग दर्ज किया गया है।

5- आवेदिका महिमा मौर्य के पती प्रमोद कुमार कुशवाहा पुत्र रामबली निवासी गोडसर सरपत्ती थाना बिन्ध्याचल जनपद मीरजापुर के तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर एनसीआर नम्बर 104/24 धारा 115(2)/352 बीएनएस में दिनांक 14.09.2024 को अभियोग दर्ज किया गया है।जिसमें मजरुबा महिमा मौर्या को मेडिकल नियमानुसार कराया गया है।

रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित है।

10/11/24

Sir
Submitted
09/11/24

विनोद कुमार यादव(उ0नि0)
थाना बिन्ध्याचल
जनपद मीरजापुर

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर।

पत्रांकः आईजीआरएस-01/2025 दिनांकः जनवरी 25 ,2025

सेवा में,

लोक शिकायत अनुभाग-3
(मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय)
उ0प्र0, लखनऊ।

महोदय,

कृपया आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त पी0जी0 पोर्टल (भारत सरकार) सन्दर्भ संख्याः 60000250012751 दिनांक 20-01-2025 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जो आवेदिका श्रीमती महिमा मौर्या पत्नी प्रमोद कुमार निवासी गोड़सर सरपत्ती थाना विन्ध्याचल, जनपद मीरजापुर के शिकायती प्रा0पत्र पर जाँच/कार्यवाही कराते हुए आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक है।

उक्त के सन्दर्भ में सादर अवगत कराना है कि आवेदिका श्रीमती महिमा मौर्या उपरोक्त के प्रार्थना पत्र की जाँच अपर पुलिस अधीक्षक नगर, जनपद मीरजापुर द्वारा करायी गयी। जाँच अधिकारी की आख्या की छायाप्रति संलग्न कर रिपोर्ट सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

25/1/25

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
जनपद मीरजापुर

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
जनपद मीरजापुर।

<u>आईजीआरएस/सीएम हेल्पलाइन सन्दर्भ संख्या:</u> 60000240240032,60000250012751 दिनांक- 24.01.25

1.	शिकायतकर्ता का नाम, पता व मो0नं0	शिकायतकर्ता महिमा मौर्या पत्नी प्रमोद कुमार निवासी गोड़सर सरपत्ती थाना विन्ध्याचल मीरजापुर मो0नं0- 9198010433।
2.	विपक्षी का नाम पता व मो0नं0	मनोज कुमार कुशवाहा पुत्र रामबली निवासी गोड़सर सरपत्ती थाना विन्ध्याचल मीरजापुर मो0नं0-9792677996
3.	जाँच अधिकारी का नाम, पद व मो0नं0	अपर पुलिस अधीक्षक नगर जनपद मीरजापुर।
4.	प्रकरण में FIR दर्ज है, तो FIR का पूर्ण विवरण	निल।
5.	विवाद की श्रेणी (जमीन/धरेलू/अपराधिक अन्य विवाद)	अन्य विवाद।
6.	शिकायत / आरोप का संक्षिप्त विवरण	मार पीट करने के संबंध में।
7.	आवेदक/शिकायतकर्ता का बयान	निल।
8.	विपक्षीगण के बयान	निल।
9.	स्वतन्त्र साक्षी का बयान (नाम, पता, मो०नं०)	निल।
10	विवाद को लेकर पूर्व में अपराध हुआ है या नहीं? यदि हुआ है तो का पूर्ण विवरण जैसे FIR,NCR, 151/107/116CrPc अथवा 170/126/ 135 B.N.S.S आदि कार्यवाही	निल।
11	यदि प्रकरण भूमि विवाद से सम्बन्धित है तो मौके पर गयी संयुक्त टीम व राजस्व टीम का नाम व मोबाईल नम्बर व राजस्व कीआख्या सहित कृत कार्यवाही का परिणाम अंकित किया जाये	निल।
12	विवाद की दशा में धारा 107/116CrPc अथवा 126/135B.N.S.S की कार्यवाही में कितनी धनराशि के मुचलकों सेपाबन्द किया गया, धारा 117CrPc की पाबन्दी का आदेश संलग्न कर पर्ण विवरण	।
13	विवाद को लेकर शरीर सम्बन्धी अपराध कारित हुआ है या नहीं? यदि हुआ है तो विवेचनात्मक कार्यवाही का विवरण	निल।
14	प्रकरण में क्या वादी या किसी पक्ष द्वारा UP-112 को सुचित किया गया है या नहीं।	निल।
15	प्रकरण में धारा 151CrPc अथवा 170B.N.S.S की कार्यवाही एक पक्षीय या द्विपक्षीय की गयी तथा आरोपियों को मजिस्ट्रेट के समक्ष किस तिथि को प्रस्तुत किया गया।	दोनो पक्षों का दिनांक 14-09-2024 170/126/135 BNSS की कार्यवाही की गयी है।
16	प्रकरण के सम्बन्ध में यदि मा० न्यायालय में कोई वाद प्रचलित है, तो मा०न्या० नाम/वादसंख्या/वाद की अद्यतन स्थिति पूर्ण विवरण।	निल।
17	जाँच अधिकारी के मौके पर जाने का दिनांक तथा गूगल शीट फोटो (अक्षांश देशान्तर सहित)...।	25.16513, 82.38109
18	प्रार्थना पत्र पहली बार दिया गया है या पूर्व में दिया जा चुका है यदि पूर्व में दिया गया है तो उसका तिथिबार विवरण तथा परिणाम।	निल
19	प्रकरण में यदि कोई समझौता हुआ है तो समझौते की प्रति संलग्न करे।	निल

20	धोखाधड़ी के मामलों में पैसे लेने का पूर्ण विवरण निला	निल
21	जमीनी बैनामा धोखाधड़ी में तहसील रजिस्टर्ड कार्यालय से आख्या प्राप्त कर करते हुए अपलोड करें।	निल
22	मोबाईल चोरी/गुम हो जाने के प्रकरण में सर्विलांश शाखा को भेजी गयी रिपोर्ट की प्रति संलग्न करें।	निल
23	पति-पत्नी सम्बन्धी घरेलू विवादों में सुलह समझौता मध्यस्थता केन्द्र को भेजी गयी रिपोर्ट की प्रति सलग्न कर पूर्ण विवरण अंकित करें।	निल
24	जाँच आख्या/विवरण/ सारांश-	सन्दर्भित शिकायती प्रकरण में क्षेत्राधिकारी नगर मीरजापुर द्वारा जांच की गयी है। क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा पूर्व में प्रेषित जांच आख्या का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि शिकायतकर्ता महिमा मौर्या पत्नी प्रमोद कुमार निवासी गोड़सर सरपत्ती थाना विन्ध्याचल मीरजापुर की मूल निवासिनी है। प्रश्नगत प्रकरण की जांच के मध्य प्रभारी निरीक्षक थाना विन्ध्याचल से प्राप्त आख्या, संबंधितगणों से की गई वार्ता व अभिलेखीय अवलोकन से पाया गया कि आवेदिका महिमा मौर्या उपरोक्त पते की मूल निवासिनी हैं। आवेदिका के पति प्रमोद कुमार व विपक्षी मनोज कुमार कुशवाहा आपस मे सगे भाई है। जिनके बीच मे पुरानी रंजीश को लेकर आपस मे दिनाँक 14.09.2024 को मार पीट किया गया था। जिसके संबंध में आवेदिका महिमा मौर्या के पति प्रमोद कुमार कुशवाहा की लिखित तहरीर पर दिनांक 14.09.2024 को ही थाना विन्ध्याचल मे एनसीआर संख्या 104/2024 धारा 115(2),352 बीएनएस बनाम 1. मनोज कुमार कुशवाहा व सुभम कुशवाहा के दर्ज कराया गया जबकि इसी घटना के संबंध मे विपक्षी सरोजा देवी की तहरीर पर आवेदिका महिमा कुशवाहा व उनके पति प्रमोद कुमार के विरुद्ध थाना विन्ध्याचल में ही एनसीआर संख्या 105/2024 अन्तर्गत धारा 115(2), 352 बीएनएस दर्ज कराया गया है। जाँच के क्रम मे उभयपक्षों के विरुद्ध दिनाँक 14.09.2024 को निरोधात्मक कार्यवाही अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस मे करते हुए चालान मा० न्यायालय किया गया। था। जबकि आवेदिका महिमा मौर्या का कहना है कि विपक्षीगणो को अभी तक जेल क्यों नहीं भेजा गया है। इस संबंध में आवेदिका महिमा मौर्या को बताया गया कि आप मा0 न्यायालय मे वाद दाखिल कर अनुतोष प्राप्त करना सुनिश्चित करें। आवेदिका को सब कुछ बताने के बावजूद भी बार-बार प्रार्थना पत्र देने कि आदी है तथा आवेदिका अनयत्र कहीं चोट लगने के कारण उंगली में फैक्चर दिखा कर मुकदमा लिखाना चाहती है जबकि दिनांक 14-09-24 को मार पीट की डॉक्टरी रिपोर्ट में कोई फैक्चर नहीं आया था। आवेदिका की मेडिकल रिपोर्ट की छायाप्रति संलग्न जांच आख्या है। इसी बात को लेकर आवेदिका महिमा मौर्या द्वारा मनगढंत आरोप लगा कर पुलिस के ऊपर दबाव बनाने के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र दिया गया है। प्रकरण पर सतर्क दृष्टि रखने हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना विन्ध्याचल को निर्देशित किया गया है। आवेदिका द्वारा दिये गये प्रा० पत्र में अंकित अन्य आरोपो कि अब तक कि जाँच से पुष्टि नही हो पायी है। प्रश्नगत प्रकरण में आवेदिका द्वारा असंतुष्ट फीडबैक दिये जाने पर पुनः जांच के क्रम में आवेदिका से जरिए दूरभाष वार्ता की गयी तो आवेदिका द्वारा बताया गया कि मुझे विपक्षीगणों द्वारा हमको मारा पीटा गया है। लेकिन विपक्षीगणों को जेल नहीं भेजा गया है। मेरे पति की तरफ से NCR लिखा गया जबकि चोटें मुझे लगी थी विपक्षियों को जेल क्यो नहीं भेजा गया। इस संबंध में आवेदिका को बताया गया कि यदि आप एनसीआर की विवेचना चाहती है तो मा0 न्यायालय में वाद दाखिल कर अनुतोष प्राप्त कर सकते है। आवेदिका द्वारा दिये गये प्रा0 पत्र में अंकित अन्य आरोपों की पुष्टि जांच से नही हो रही है। आख्या सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

24/01/25

पत्र संख्या-एसटी-पु0अ0नगर-आईजीआरएस / 2025
दिनांक-जनवरी, ,2025

पुलिस अधीक्षक नगर
मीरजापुर।